



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/ATY-1790/DL/1/2024-APCR-RU-IV

दिनांक : 17.07.2025

सेवा मे,

पुलिस आयुक्त,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: दिल्ली स्थित जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी, जातिसूचक अभद्रता एवं पुलिस द्वारा कार्यवाही ना किया जाने हेतु श्रीमती लीला देवी, पत्नी श्री लाला राम मीना, उत्तम नगर, दिल्ली का अभ्यावेदन।

महोदय,
उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

Encl: as above

भवदीय


(**एच.आर .मीना/H.R.Meena**)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमति लीला देवी,
बी-10 रोड़ सं.10 यादव एन्क्लेव,
विकास नगर, उत्तम नगर
पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली -110059
मो .नं 9868491472

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-1790/DL/1/2024-APCR

श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री लाला राम मीना, उत्तम नगर, दिल्ली के जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी, जातिसूचक अभद्रता एवं पुलिस द्वारा कार्यवाही ना किया जाने हेतु प्राप्त अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 30.06.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक : 30.06.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

अभ्यावेदिका श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री लाला राम मीना ने दिनांक 24.07.2024 को आयोग में शिकायत की जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बी-10, गली नं-10 यादव एन्क्लेव, विकास नगर, उत्तम नगर, दिल्ली में रहते हैं इसी क्षेत्र में गली नंबर 9 में श्री रहीसुल निशा उर्फ शब्बो उनके पति श्री जुबेर अहमद और उनके बेटे श्री इरफान रहते हैं। दिनांक 02.11.2023 को प्रार्थी द्वारा एक प्लॉट यादव एन्क्लेव, विकास नगर, उत्तम नगर में लिया गया था, जिस पर प्रार्थी दिनांक 03.12.2023 को दरवाजा लगा रही थी तभी श्रीमति शब्बो और 10-15 लोग वहाँ आए और उन सभी ने मिलकर प्रार्थी के साथ गाली गलोच की और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने तथा रंगदारी वसूलने की धमकी दी। प्रार्थी ने इस घटना की शिकायत दिनांक 04.12.2023 को थाना रनहोला में की लेकिन श्री अशोक कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसके साथ अभद्रता की। श्री अशोक कुमार ने प्रार्थी को दिनांक 08.12.2023 को थाने में बुलाया और जातिसूचक शब्दों से अपमान किया। अतः प्रार्थी ने आयोग से आग्रह किया है कि श्री अशोक कुमार, रहीसुल निशा उर्फ शब्बो और उसके पति जुबेर अहमद बेटे इरफान, बेटी शकीला, शकरून निशा, शमशाद अहमद, नौशाद, दिलशाद, उमेश त्यागी एवं अशोक यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

माता लकड़ा

2. आयोग द्वारा इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिनांक 19.08.2024 को नोटिस भेजा गया था।

3. इस मामले में आयोग द्वारा 28.03.2025 को सुनवाई की गयी थी जिसका कार्यवृत्त सम्बन्धित पदाधिकारियों को भेज दिया गया था।

4. तदुपरांत मामले में दिनांक 30.06.2025 को सुनवाई हेतु दिल्ली पुलिस आयुक्त को आयोग द्वारा समन जारी किया गया था उनके स्थान पर सम्बन्धित जिले के पुलिस उपायुक्त व् प्रार्थी उपस्थित रहे।

5. आयोग में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया एवं सुनवाई के दौरान पुलिस उपायुक्त ने सूचित किया मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है व् अब इसमें अनुसूचित जाति व् जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 की धाराओं को भी शामिल किया जायेगा व् इस मामले को वे आगे खुद के निर्देशन में रखेंगे। सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने बताया की वर्तमान जांच अधिकारी की भूमिका संदेहास्पद है तथा सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त का इस विषय को लेकर बहुत ही नकारात्मक रवैया है अत उन्हें न्याय प्रदान किया जाए।

➤ मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है

:-

1. इस मामले में उपायुक्त अनुसूचित जाति व् जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 की उचित धाराओं का भी प्राथमिकी में समावेश करेंगे व् सम्बन्धित के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करेंगे।
2. इस सम्बन्ध में वर्तमान जांच अधिकारी व् सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त की भूमिका भी संदेहास्पद है अत जांच अधिकारी को बदलते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अग्रेषित करे।
3. मामले में जांच कर 60 दिवस में सम्बन्धित न्यायालय में चार्ज सीट दायर करी जाए।
4. सभी तथ्यों की रिपोर्ट की प्रति आयोग को प्रेषित की जाए।

(हस्ताक्षर)
15/07/2025
(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

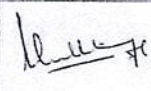
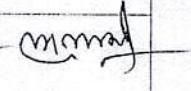
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1790/DL/1/2024-APCR

Sitting to be held on 30.06.2025 at 03.20 P.M- Complaint received from Mrs. Leela Devi, wife of Mr. Lala Ram Meena, Uttam Nagar, Delhi, regarding illegal encroachment on her land in Delhi, threats, caste-based abusive behavior, and inaction by the police.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police		
1.	Narain Chaitanya Addl DCP 1, Outer District	O/o DCP Outer dist, Pitampura. Ph: 8985556275	
2.	InsP. Sanjeev PS Pankhala Outer Dist.	Ph: 7095036158	
3.			
4.			
5.			
6.			
III	Petitioners		
1.	Lala Ram meena H.NO-B-10 uli neo to Uttam Nagar	9862491172	
2.			